

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/240
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00233
CICOM/R/2017/00860

दिनांक: 09.08.2017

अपीलकर्ता : डॉ० ओम प्रकाश शर्मा,
एम - 3/662/एच/एल.डी.ए. कालोनी,
कानपुर रोड, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 226012.

निर्णय की तारीख : 09.08.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	12.06.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	21.07.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	27.07.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	153416/01.08.2017

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 12.06.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल किया है। प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने आयोग द्वारा अपने द्वितीय अपील वापस किए जाने एवं अपील हेतु प्रारूप का उल्लेख किया है।

2. प्रस्तुत प्रथम अपील में उल्लिखित मुद्दों के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री कृष्ण अवतार तलवार को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 09.08.2017 को बुलाया गया। श्री कृष्ण अवतार तलवार ने बताया कि द्वितीय अपील का प्रारूप जिस पर अपीलकर्ता ने द्वितीय अपील दाखिल की थी, बिल्कुल सही है परन्तु अपीलकर्ता द्वारा सही ढंग से नहीं भरा गया है। अपीलकर्ता द्वारा देर से द्वितीय अपील दाखिल करने के संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अतः श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।


(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

01/08/17

